

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

रॉची,

दिनांक :- 10.2.12

/ जल संसाधन विभाग,

अधि.सं.-01/स्था.पदस्थापन-11-06/2012ज.सं.-

585

झारखण्ड के अधीन कार्यपालक अभियंता के रिक्त पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु निम्नांकित स्तम्भ-02, में अंकित पदाधिकारी को अगले आदेश तक अपने मूल कार्य के अतिरिक्त स्तम्भ-03 में अंकित पद का प्रभार ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान पदस्थापन का स्थान	रिक्त पद/कार्यालय का नाम (जिसका अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करना है)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री उमेश प्रसाद कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, पाकुड	कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, साहेबगंज	

- यह आदेश पूर्णतः अस्थायी है। उक्त पद पर नियमित पदस्थापन के पश्चात् यह आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- उक्त कार्य के लिए संबंधित पदाधिकारी को कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा रॉची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं कार्यालय अभिलेख हेतु इसकी 25 (पचीस) प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख-01, एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, रॉची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सभी पदाधिकारियों, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी- 01, 02, 06, 07/ब, 07/यो. एवं 08 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- संबंधित पदाधिकारी को यह निदेशित किया जाता है कि अविलम्ब संबंधित पद का प्रभार ग्रहण कर विभाग को संसूचित करेंगे।

(दिनेश उपाध्याय)
सरकार के उप सचिव (प्र.)